समय पर सरकार पैसा गुजरात को दे दे। राजस्थान और मध्यप्रदेश में गवर्नर रूल है, उनका जो 340 करोड़ रुपया बाकी है, वह रुपया जो वहां के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कहकर गुजरात को दिलाया जाए ताकि जल्दी योजना बन सके क्योंकि जो 132 शहर और 8000 गांवों में पीने के पानी की समस्या है, उन गांवों को इससे पीने का पानी मिलेगा, खेती के लिए पानी मिलेगा। इस वजह से मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की जो पालिसी है, वह जल्दी से जल्दी हाउस में हम लोगों को बताई जाए। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Before I adjourn the House, I shall say that the remaining special mentions may be taken up after the Private Member's Business, if hon. Members so desire. Or, we can take up the remaining special mentions in the next week on Tuesday. Now, I adjourn the House for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shrimati Sushma Swaraj)** in the chair.

* * *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Now the Parliamentary Affairs Minister will make a statement on Government business for the week.

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING TUESDAY, THE 3rd AUGUST, 1993

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 3 अगस्त, 1993 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1993 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक, 1993 पर विचार और पारित करना।

2. संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1993 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 1993 पर विचार और पारित करना।

3. कयर उद्योग (संशोधन) विधेयक, 1993 पर विचार और पारित करना।

4. औषध नीति, 1986 की पुनरीक्षा पर पृष्ठभूमि टिप्पणी पर चर्चा।

5. प्रत्यर्पण (संशोधन) विधेयक, 1993 पर विचार और पारित करना।

6. लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना।

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1993

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE (MAHARASHTRA) : Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE : Madam, I introduce the Bill.

THE BONDED LABOUR SYSTEM (ABOLITION) AMENDMENT BILL, 1993.

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE (MAHARASHTRA) : Madam